The Gazette of India Page 1 of 4



Government of India

Wireless Planning & Coordination Wing

Ministry of Communications and Information Technology Department of Telecommunications

रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

REGD. NO. D. L.-3300

The Gazette of India

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II — खण्ड 3 — उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

H. 78] No. 78] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 10, 2009/माघ 21, 1930 NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 10, 2009/MAGHA 21, 1930

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(बेतार योजना और समन्वय खंड)

अधिसचना

नई दिल्ली, 10 फरवरी, 2009

सा.का.नि. 90(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय तार अधि-नियम, 1885 (1885 का 13) की धारा 4 और धारा 7 और भारतीय बेतार तारयांत्रिकी अधिनियम, 1933 (1933 का 17) की धारा 4 और धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अति निम्न शक्ति रेडियो आवृत्ति युक्तियां या उपस्कर जिसके अंतर्गत रेडियो आवृत्ति पहचान युक्तियां भी हैं, के उपयोग (अनुज्ञप्ति की अपेक्षा से छूट) नियम 2009 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2, लागू होना.—यह नियम 50—200 किलोहर्ट्ज आवृत्ति बैंड को लागू होंगे।
- 3. परिभाषाएं.—इन नियमों में जब संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों.—
 - (क) ''अधिनियम'' से भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) और भारतीय बेतार तारयांत्रिकी अधिनियम, 1933 (1933 का 17) अभिप्रेत है।
 - (ख) इन शब्दों और पदों के जो इसमें प्रयुक्त हैं, और इन नियमों में परिभाषित नहीं हैं किन्तु उक्त अधिनियमों में परिभाषित हैं वहीं अर्थ होंगे जो उन अधिनियमों में

4. अति निम्न शिक्त रेडियो आवृत्ति युक्तियां या उप जिसके अंतर्गत रेडियो आवृत्ति पहचान युक्तियां भी हैं, 5 200 किलोहर्ट्ज बैंड में उपयोग—तत्समय प्रवृत्त किसी विर्ध अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, समेकित, समर्पित या व एंटीना (बाहरी एंटीना की दशा में केवल चक्ररित एंटीना भी स जाएगा) पर जिसमें बिना हस्तक्षेप, बिना संरक्षण या सम्मिलित (अ रूप से नहीं) आधार पर अति निम्न शिक्त रेडियो आवृत्ति युक्तिय उपस्करों जिसके अंतर्गत रेडियो आवृत्ति पहचान युक्तियां भी 50—200 किलोहर्ट्ज बैंड में उपयोग के प्रयोजन के लिए वियक्ति को किसी बेतार को स्थापित करने, अनुरक्षण करने में, करने में, अपने पास रखने में या उसे व्यवहार करने में नीचे दें सारणी में विनिर्दिष्ट अधिकतम विकिरित शिक्तयां या क्षेत्र तीव्रता के सिवाय, कोई अनुज्ञप्ति अपेक्षित नहीं होगी, अर्थात् :—

सारणी

निम्नलिखित आवृत्ति बैंड के उपयोग के लिए प्रेरणि अनुपयोग के तकनीकी लक्षण

	आवृत्ति बैंड	अधिकतम विकिरित शक्ति या क्षेत्रतीव्रता सीमा		
	(1)	(2)		
	50—59.750 किलोहर्टज	प्रति 10 मीटर पर 72 डिसबिल माइक्रो एम्पयिर प्रति मीटर या 123 डिसबिल माइक्रो वोल्ट प्रति मीटर		
	59.750- 60.250	प्रति 10 मीटर पर 42 डिसबिल माइक्रो एम्पयिर प्रति मीटर या 93.:		

The Gazette of India Page 2 of 4

561 GI/2009	(1)		

2	THE GAZETTE OF INI	E GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY		
(1)	(2)	7. शर्ते. —ये नियम,		
60.250- 70 किलोहर्टज	प्रति 10 मीटर पर 69 डिसबिल माइक्रो एम्पयिर प्रति मीटर या 120.5 डिसबिल माइक्रो वोल्ट प्रति मीटर	(i) इस आवृत्ति अधिकारों या प्रचालन को प्र		
70- 119 किलोहर्टज	प्रति 10 मीटर पर 42 डिसबिल माइक्रो एम्पयिर प्रति मीटर या 93.5 डिसबिल माइक्रो वोल्ट प्रति मीटर	(ii) जहां केन्द्रीय स है, लागू नहीं		
119- 135 किलोहर्टज	प्रति 10 मीटर पर 66 डिसबिल माइक्रो एम्पयिर प्रति मीटर या 117.5 डिसबिल माइक्रो वोल्ट प्रति मीटर			
135- 140 किलोहर्टज	प्रति 10 मीटर पर 42 डिसबिल माइक्रो एम्पयिर प्रति मीटर या 93.5 डिसबिल माइक्रो वोल्ट प्रति मीटर	MINISTRY OF C INFORMAT (Wireless Plannin		
140- 148.5	प्रति 10 मीटर पर 37.7 डिसबिल माइक्रो एम्पियर प्रति मीटर या 89.2	New Delhi, the		
किलोहर्टज 148.5- 200 किलोहर्टज	डिसबिल माइक्रो वोल्ट प्रति मीटर प्रति 10 मीटर पर 30.0 डिसबिल माइक्रो एम्पयिर प्रति मीटर या 81.5 डिसबिल माइक्रो वोल्ट प्रति मीटर	G.S.R. 90(E).—It by Sections 4 and 7 of (13 of 1885) and Section Telegraphy Act, 1933 (13 hereby makes the follow		
1 113		2 22 3 22 3		

5. व्यतिकरण.—अवांछित ऊर्जा के किसी प्रभाव या उत्सर्जन के किसी संयोजन, किसी रेडियो संचार प्रणाली में किसी उत्सर्जन, विकरण या अभिग्रहण पर उत्प्रेरण के सहयोजन, किसी अवकर्षण, अपनिर्वचन, या सूचनाओं की हानि जो ऐसी अनवांछित ऊर्जा की अनपस्थिति के निष्कर्ष में हो सकेगा, जहां अधिनियम की धारा 4 के अधीन किसी व्यक्ति को कोई अनुज्ञप्ति जारी की गई है सूचित करेगा कि उसके अनुज्ञप्ति प्रणाली में किसी अन्य रेडियो संचार प्रणाली से जो इन नियमों के अधीन छूट प्राप्त है, से हानिकारक व्यतिक्रम हो रहा है, ऐसी बिना अननुज्ञप्तधारी बेतार उपस्करों के उपयोग को जो उपस्करों के पुनर्स्थापन द्वारा व्यतिक्रम को दूर करने के लिए ऐसे आवश्यक उपाय, शक्ति को कम करके, एंटीना के विशेष प्रकारों का उपयोग करके जिसके अंतर्गत ऐसे बेतार के उपयोग को रोकना भी है, यदि अपेक्षित हों, करने होंगे।

परन्तु ऐसे रोकने से पहले ऐसे बेतार उपस्करों के अननुज्ञप्तिधारी उपयोक्ता को परिस्थितियों को स्पष्ट करने के लिए युक्ति युक्त

6. उपस्कर.—(1) जहां अति निम्न शक्ति रेडियो आवृत्ति युक्तियां या उपस्कर या रेडियो आवृत्ति पहचान युक्तियों के प्रकार अनुमोदित होंगे, उपर्युक्त नियम 4 में निर्दिष्ट सारणी में विनिर्दिष्ट

7. शतें.-ये नियम,-

- (i) इस आवृत्ति बैंड में किसी प्रकार से अ अधिकारों या विद्यमान प्रक्रियाओं और योजनाबद प्रचालन को प्रभावित नहीं करेंगे;
- जहां केन्द्रीय सरकार से विशिष्ट सेवा अनुज्ञप्ति उ है, लागू नहीं होंगे।

[सं. आर-11020/07/2008-

[PART II—SEC

आर. के. सक्सेना, उप बेतार सल

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(Wireless Planning and Coordination Wing NOTIFICATION

New Delhi, the 10th February, 2009

G.S.R. 90(E).—In exercise of the powers con by Sections 4 and 7 of the Indian Telegraph Act, (13 of 1885) and Sections 4 and 10 of the Indian Wi Telegraphy Act, 1933 (17 of 1933), the Central Govern hereby makes the following rules, namely:-

- Short title and commencement .—(1) These may be called the Use of very low power Radio Frequency devices or equipments including the Radio Frequ Identification Devices, (Exemption from Licentification Devices, Exemption Requirement) Rules, 2009.
- (2) They shall come into force on the date of publication in the Official Gazette.
- 2. Application.—These rules shall be applica the 50-200 KHz frequency band.
- 3. Definitions.—In these rules, unless the co otherwise requires,-
- (a) "Act" means the Indian Telegraph Act, 18 of 1885), and the Indian Wireless Telegraphy Act, (17 of 1933);
- (b) Words and expressions used in these rule not defined, but defined in the Acts shall have the meanings respectively assigned to them in those A
- 4. Use of very low power Radio Frequency devi equipments including Radio Frequency Identific Devices, in the 50-200 KHz frequency band.-

Notwithstanding anything contained in any la

The Gazette of India

Page 3 of 4

सामाओं के अनुरूप उत्सजन बंड का चाड़ाई आर अन्य परामाटस होंगे और ऐसी रीति में अनुमोदित या डिजाइन और सॅनिर्माण किए जाएंगे।

(2) केन्द्रीय सरकार ऐसे अनुप्रयोग प्रारूप बनाएगी जो उपस्करों के प्रकार के अनुमोदन के अनुरूप के लिए लागू होंगे जो वैबसाइट www.wpc.dot.gov.in पर उपलब्ध होंगे। the time being in force, no licence shall be required by person to establish, maintain, work possess or deal is wireless equipment for the purpose of usage of ver power Radio Frequency devices, or equipments incl. Radio Frequency Identification Devices, in the 50-20 frequency band, with Integral, Dedicated or Ex antenna (In case of external antenna, only loop coil ar

[भाग II-खण्ड 3(i)]

भारत का राजपत्र : असाधारण

may be employed) on non-interference, non-protection and shared (non-exclusive) basis, with the maximum Radiated Power or Field Strength Limits as specified in the Table below, namely:—

TABLE

Technical characteristics of inductive applications using the following frequency bands

Frequency Band	Maximum Radiated Power or Field Strength Limits
50-59.750 kHz	72 dBμA/m or 123.5 dBμV/m at 10 metres
59,750-60.250 kHz	$42dB\mu A/m$ or $93.5dB\mu V/m$ at $10metres$
60.250-70 kHz	$69dB\mu A/m$ or $120.5dB\mu V/m$ at $10metres$
70-119 kHz	42 dBμA/m or 93.5 dBμV/m at 10 metres
119-135 kHz	$66dB\mu A/m$ or $117.5dB\mu V/m$ at $10metres$
135-140 kHz	$42dB\mu A/m$ or $93.5dB\mu V/m$ at $10metres$
140-148.5 kHz	$37.7~dB\mu A/m$ or $89.2~dB\mu V/m$ at $10~metres$
148.5-200 kHz	$30.0dB\mu A/m$ or $81.5dB\mu V/m$ at $10metres$

5. Interference.—The effect of unwanted energy due to one or a combination of emissions, radiations or induction upon reception in a radio communication system, manifested by any performance degradation, misinterpretation, or loss of information which could be

extracted in the absence of such unwanted energy, wany person whom a licence has been issued under Ser 4 of the Act, informs that his licensed system is ge harmful interference from any other radio communical system exempted under these rules, the user of unlicensed wireless equipment shall take necessary to avoid interference by relocating the equipment reducing the power, using special type of anterincluding discontinuation of such wireless us required:

Provided that, before such discontinuation reasonable opportunity to explain the circumstances be offered to such unlicensed user of wireless equipments.

6. Equipments.—

- (1) These very low power Radio Frequency wir devices or equipments or Radio Frequency Identific devices shall be type approved and designed constructed in such a manner so that the bandwid emission and other parameters shall conform to the I specified in the Table referred to in rule 4 above.
- (2) The application for obtaining equipment approval shall be made to the Central Government in application format which shall be available on wel www.wpc.dot.gov.in.

Conditions.—These rules,—

- do not in any way, affects the licensing r or procedures of existing and planned wir operations, in this frequency band;
- (ii) are not applicable, wherever specific se licence is required from the Ce Government.

[No. R-11020/07/2003

R. K. SAXENA, Dy. Wireless Ad

The Gazette of India

Page 4 of 4

